राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (भूअ) बाड़मेर

क्रमांक : प.14(191)(1)भू.अ./स्था/2017/ 5274 दिनांक 5-10-2017

आदेश

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक : राम/भू.अ./ई–3/परीक्षा/प–279/11323–355 दिनांक 03.10.2017 के क्रम में सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2015 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु जिला बाड़मेर आंवटित किये जाने के फलस्वरूप इस जिले में पटवारियों के उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान असैनिक सेवायें (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के अन्तर्गत पटवारी की वेतन श्रृंखला (पे बैण्ड 5200 – 20200 एवं ग्रेड पे – 2400) में दो वर्ष तक प्रोबेशनर ट्रेनीज के रुप में रुपये 8910/– (आठ हजार नौ सौ दस रुपये) प्रतिमाह स्थिर पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) पर प्रशिक्षु पटवारी के रुप में पटवार प्रशिक्षणशाला बाड़मेर में उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन पटवारी पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं –

1. कि पटवारी पद पर अंतिम रूप से चयनित निम्न अभ्यर्थियों का पदस्थापन एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9454/2017 देवेन्द्रसिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा इस याचिका के सलग्न अन्य याचिकाओं, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9630/2017 ओमप्रकाश चौधरी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8454/2017 श्रवण स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8829/2017 ओमप्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अध्यधीन रहेगा।
2. यह नियुक्ति राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू(लैण्ड रिकार्ड) रूल्स,1957 के नियम 4 एवं तत्पश्चात समय समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशों /परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी एंव समय समय पर जारी किये गये निर्देश परिपत्र लागू होगे।
3. कि नियुक्ति से पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. कि पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमांण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. कि पटवारियों के प्रशिक्षण सत्र की अवधि 9 माह की होगी तथा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरों पर संदत्त किया जावेगा एंव अन्य शर्ते राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत संदत्त होगी। सत्र की सम्पूर्ण अवधि में उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।
6. कि पटवार प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात होने वाली विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी द्वारा परिवीक्षा की दो वर्ष की सेवा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर नियमानुसार नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाएगी।